

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 64 of 2024

Sub.: Revision in the subject list of E (Rep) Branches.

In supersession to the Office Order No. 31 of 2019, it has henceforth been decided to delete the subject of 'Monitoring of NIVARAN Portal' from the subject list of E (Rep) Branches. Revised Subject list of E (Rep) Branches is enclosed as **Annexure-I.**

2. The above issues with the approval of the competent Authority.

No.2024/O&M/7/25

Dated: 29.10.2024

(T.Srinivas)

Joint Secretary/Railway Board Email id: t.srinivas1@gov.in

Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:-

AM/HR, ED/E

Copy to:-

EDPG/MR, JDPG/MoSR(S), Sectt. of MoSR(R)

Subject list of E(Rep) - I, E(Rep) - II and E(Rep) - III

- 1. All Individual & Joint representations/references, etc. received from non-gazetted Railway staff, serving or retired, which are received directly or through MPs/MLAs, other public men and various Social Organisations/Trade Unions/Political parties etc on their service matters including pension and other related matters, excluding the following:-
- a) References dealing with matters of general policy as distinct from individual grievances.
- b) Court /CAT cases and Railways' proposals.
- c) All Individual representations in respect of Gazetted Officers/RPF personnel.
- d) All individual representations for appointment against Sports Quota.
- e) All individual representations received from or in respect of the employees/ex-employees belonging to the SC/ST Communities.
- f) Complaints against gazetted/non-gazetted railway officials by public/railway staff which are not connected to service grievance/day to day work.
- 1.1 All Individual/Joint Representation relating to NPS received from serving or retired non-gazetted Railway employees either directly or through MPs/MLAs/VIPs or from Associations/Federations.
- 2. In addition to the above E(Rep)II Branch exclusively deals with the following:-
- a) All individual requests for direct appointment for all Railways/PUs
- b) All individual representations from employees working in other Ministries/ Departments in Delhi either from employees themselves or through MPs/MLAs etc. for transfer and appointment on the Railways on humanitarian/compassionate grounds. These are to be dealt with like other individual representations from Railway employees on staff matters.
- Individual representations of OBC Railway Employees (OO No.01 of 2020)

भारत सरकार/Government of India रेल मंत्रालय/Ministry of Railways (रेलवे बोर्ड/Railway Board)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 64

विषय: स्थापना (अभ्यावेदन) शाखाओं की विषय सूची में संशोधन

2019 के कार्यालय आदेश सं. 31 का अधिक्रमण करते हुए इसके बाद से स्थापना (अभ्यावेदन) शाखाओं की विषय सूची से 'निवारण पोर्टल की निगरानी' विषय हटाने का विनिश्चय किया गया है। स्थापना (अभ्यावेदन) शाखाओं की संशोधित विषय सूची अनुलग्नक-। के रूप में संलग्न है।

2. उपरोक्त को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सं 2024/ओएंडएम/7/25

दिनांक: 29.10.2024

(टी.श्रीनिवास) संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ईमेल आईडी: t.srinivaas1@gov.in

दुरभाष सं. 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली में सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

अपर सदस्य/मानव संसाधन, कार्यपालक निदेशक/स्थापना

प्रतिलिपि सूचनार्थः

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस), रेल राज्य मंत्री (आर) का सचिवालय

स्थापना(अभ्यावेदन)।, स्थापना(अभ्यावेदन)-॥, स्थापना(अभ्यावेदन)-॥।

- 1. अराजपत्रित, सेवारत या सेवानिवृत रेल कर्मचारियों से प्राप्त होने वाले सभी व्यक्तिगत एवं संयुक्त अभ्यावेदन/संदर्भ आदि जो उनके पेंशन और अन्य संबंधित मामलों सिहत उनके सेवा संबंधी मामलों के संबंध में सीधे अथवा सांसद/विधायक, अन्य गणमान्य व्यक्तियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों/श्रमिक संघों/राजनीतिक दलों आदि के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:-
- क) व्यक्तिगत शिकायतों से भिन्न सामान्य नीति के मामलों से संबंधित संदर्भ।
- ख) कोर्ट/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण मामले तथा रेलवे प्रस्ताव।
- ग) राजपत्रित अधिकारियों/रेल सुरक्षा बल कार्मिकों के संबंध में सभी व्यक्तिगत अभ्यावेदन।
- घ) खेल कोटा के तहत नियुक्ति के लिए सभी व्यक्तिगत अभ्यावेदन।
- ङ) अजा/अजजा समुदायों से संबंधित कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों के संबंध में या उनसे प्राप्त होने वाले सभी व्यक्तिगत अभ्यावेदन।
- च) जनसामान्य/रेल कार्मिकों द्वारा राजपत्रित/अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के विरूद्ध की गई शिकायतें जो सेवा शिकायत/दिन-प्रतिदिन के कार्य से संबद्ध नहीं हैं।
- 1.1 सेवारत या सेवानिवृत्त अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की एनपीएस से संबंधित सभी व्यक्तिगत/संयुक्त अभ्यावेदन जो या तो सीधे या सांसदों/ विधायक/अन्य गणमान्य व्यक्तियों या एसोसिएशनों/फेडरेशन से प्राप्त हो।
- 2. उपर्युक्त के अलावा स्थापना (अभ्यावेदन)॥ शाखा अनन्य रूप से निम्नलिखित पर कार्रवाई करती है:
 - क) सभी रेलों/उत्पादन इकाइयों में सीधे भर्ती के लिए सभी व्यक्तिगत अनुरोध।
 - ख) दिल्ली में अन्य मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से मानवीय/अनुकंपा के आधार पर रेलों पर स्थानांतरण/नियुक्ति के लिए सीधे स्वयं कर्मचारियों से या सांसदों/विधायकों आदि के माध्यम से प्राप्त होने वाले सभी व्यक्तिगत अभ्यावेदन। इन पर कर्मचारी संबंधी मामलों पर रेल कर्मचारियों से अन्य व्यक्तिगत अभ्यावेदनों के समान कार्रवाई की जानी है।
 - 3. अन्य पिछड़ा वर्ग रेल कर्मचारियों के व्यक्तिगत अभ्यावेदन (2020 का कार्यालय आदेश सं. 01)